

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ।

सेवा में

सभी डी०डी०ओ०
श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांक: स्था०/०३/२०२३ ६८१५-६६

दिनांक:- २२/०३/२०२३


Subject: Regarding extension of services of employees engaged through Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited in Labour Department, Haryana.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ५४५२-५०२ दिनांक ०७.०३.२०२३ के संदर्भ में।

२. विषयोक्त मामले में आपको सादर सूचित किया जाता है कि श्रम आयुक्त महोदय द्वारा संविदात्मक आधार पर (हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के माध्यम से) कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि आगामी एक वर्ष दिनांक ३१.०३.२०२४ पर बढ़ाने बारे सहमति प्रदान की गई है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा विस्तार दिनांक ०१.०४.२०२३ से ३१.०३.२०२४ तक बढ़ाने बारे कार्यवाही हरियाणा कौशल रोज़गार निगम, पंचकुला के पोर्टल पर डालने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर शीघ्र अति शीघ्र करें।

यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

क्रमांक: स्था०/०३/२०२३

दिनांक:-

पत्र की एक प्रति श्री रीगल चौधरी, उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य-कम-नोडल अधिकारी (एच०के०आर०एन०), मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि मुख्यालय पर कार्यरत सभी संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा विस्तार दिनांक ३१.०३.२०२४ तक करने बारे आवश्यक कार्यवाही करें।

— ६८१५ —
उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।